the amount placed at the disposal of concerned State Government for disbursement to next of kin of the deceased pilgrims is given at Statement (*See* below).

(c) The Government had appointed Dr. Nitish Sengupta as Inquiry Officer to look into the various aspects of the tragedy and also to suggest measures to ensure proper and adequate arrangements to avoid recurrence of such incidents in future. Dr. Sengupta, in his report submitted to the Government on 2.12.1996, had made a number of recommendations for ensuring a smooth Yatra in future. A copy of the report was laid on the Table of the House on 18th December, 1996.

Statement

Statewise Disbursement of Ex-Gratia Relief for Deceased Pilgrims of Amarnath Yatra Tragedy in 1996

Sl. No.	Name of State	Amount placed at the disposal of State Govt.
		(Rupees in Lakhs)
1.	Andhra Pradesh	16
2.	Bihar	4
3.	Delhi	46
4.	Gujarat	100
5.	Haryana	16
6.	Himachal Pradesh	2
7.	Karnataka	4
8.	Maharashtra	26
9.	Madhya Pradesh	22
10.	Orissa	4
11.	Punjab	22
12.	Rajasthan	10
13.	Tamil Nadu	2
14.	Uttar Pradesh	44
15.	West Bengal	12
16.	J&K	42
		372

Dumping of Nuclear Wastes on Indian Soil

*40. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether nuclear wastes of developed countries are being dumped on the Indian soil; and

(b) if so, the corrective measures taken by Government to check this practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALA-SUBRAMONIYAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

परमाणु रिएक्टरों में दुर्घटनायें

156. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु रिएक्टरों में वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक की अवधि में कितनी दुर्घटनायें हुई और इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन एवं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए०ई०आर०बी०) द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपबन्ध नहीं किए गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से विकिरण निसरण के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन वर्तमान में किन केन्द्रों द्वारा संभव नहीं हो रहा है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा केन्द्रों को अधिक सुरक्षित रखने तथा लोगों के स्वास्थ्य को विकिरणों के

दुष्प्रभाव से बचाने हेतु किये गये नवीनतम उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) भारत में 1993-94 से 1996-97 के दौरान परमाणु रिएक्टरों में कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई। अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-प्रणाली के अनुसार परमाणु विद्युत संयंत्रों में होने वाली सभी घटनाओं के स्तर को उनके वैकरणिकी प्रभावों के आधार पर 0-7 के पैमाने पर निर्धारित किया जाता है। 3 और उससे नीचे के स्तर पर निर्धारित घटनाओं को "घटनाएं" में वर्गीकृत किया जाता है जबकि 3 से ऊपर की घटनाओं को "दुर्घटनाएं" कहा जाता है। इस पैमाने के अनुसार (अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय घटना पैमाना) भारत में परमाणु रिएक्टरों में कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं।

(ख) जी, नहीं। परमाणु रिएक्टरों में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को लागू करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के पास पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हैं, और ये अप्रचलित नहीं हुए हैं।

(ग) सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों अर्थात तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 और 2, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 और 2, मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 और 2, नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 और 2, तथा ककरापार परमाणु बिजलीघर-1 और 2 से उन्मुक्त होने वाली विकिरण की मात्रा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही है। अनुमेय सीमा से अधिक विकिरण के रिसाव की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) विकिरण से व्यक्तियों का बचाव करने के लिए मौजूदा उपाय पर्याप्त पाए गए हैं। इनमें संस्थापनाओं की सुरक्षा स्थिति को मानीटर करने हेतु, समर्पित बहु-चरणीय समितियों द्वारा निगरानी रखा जाना शामिल है। इन संयंत्रों को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशनों के भीतर ही चलाया जाता है। कर्मचारियों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा को लगातार मानीटर किया जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्रों के बाहर स्थापित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं, जहां प्रयोज्य हो, जल, वायु, खाद्य-पदार्थ, गाद और तलछट के उपयुक्त नमूने इकट्ठे करती हैं और उनमें मौजूद विकिरण सक्रियता के अंश को मापती है। जनसामान्य के सदस्यों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा मापे जाने के लिए बहुत ही कम है। अनुमानित मात्रा उन मात्रा की सीमाओं का एक छोटा सा अंश है जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

Setting up Nuclear Power Plants in the Private Sector

157. DR. D. VENKATESHWAR RAO:
SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposals received from the Private Sector, including foreign Governments and companies, for setting up nuclear power plants in the Country, are under Government's consideration;

(b) if so, the details thereof; location-wise & cost-wise indicating whether such plants, have already been set up in the Public Sector in the Country;

(c) whether Government have accepted comprehensive international safeguards;

(d) whether it would jeopardies the nuclear options of the country; and

(e) whether any survey has been made so far to ensure that new plants should not be located in weak-seismic and geological zones thereby entailing security risk or danger to the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALA-SUBRAMONIYAN): (a) and (b) Government have not received any concrete proposals from private sector for setting up nuclear power plants in the country, Government of India are open to specific offers for participation by private firms, Indian or foreign, in the nuclear power sector. Such offers when received, have to be considered on the basis of technical suitability, economic attractiveness and conditions attached